क्रमांकः 15/142/89–4पी0पी0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी मण्डलों के आयुक्त,
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त तथा
   सभी उप–मण्डल अधिकारी (ना0)।

दिनांक चण्डीगढ़ 15.03.2018

विषयः स्वतन्त्रता सेनानियों तथा उनकी विधवा की मृत्यु पर गार्ड ऑफ ऑनर देने बारे।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा प्रदेश स्वतन्त्रता सेनानी एसोसियेशन की मांग पर विचार करते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के स्वतन्त्रता सेनानी व उनकी विधवा की मृत्यु पर उसे पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाये। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि जब किसी राज्य के स्वतन्त्रता सेनानी व उनकी विधवा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना उचित समय पर पुलिस विभाग को दी जाये ताकि उन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिये जाने का प्रबन्ध किया जा सके।

Jarnail Singh

अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार। SK

पृष्ठ क्रंमाक 15/142/89–4 पी0पी0 दिनांक चण्डीगढ

एक प्रति निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. महानिदेशक, पुलिस विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ तथा आगामी कृपया इस बारे में अधीनस्थ अधिकारियों को हिदायते जारी कर दी जायें।
2. अध्यक्ष, हरियाणा स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान समिति, चण्डीगढ।

Sd/-

अवर सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।